मंत्रालयों में खिलाड़ियों के लिए आरक्षित नौकरियां

1033. **प्रो. विजय कुमार मल्होत्राः** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों में खिलाड़ियों के लिए आरक्षित पदों की संख्या मंत्रालय वार और वर्ग वार कितनी कितनी है।

(ख) क्या उपर्यूक्त आरक्षण पर्याप्त है, और

(ग) क्या सरकार इस आरक्षण कोटे को बढ़ाने का विचार रखती है?

कार्मिक, लोक शिकायत औऱ पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री एस. आर. बालासुब्रहमण्यन): (क) और (ख) विद्यमान अनुदेशों के अनुसार समूह ग तथा समूह (घ) पदों में सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली कुल रिक्तियों का अधिकतम 5% उत्कृष्ट खिलाड़ियों को नियुक्त करके भरा जा सकता है।

(घ) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचारधीन नहीं, हैं।

प्रधान मंत्री कार्यालय में भ्रष्टाचार नियंत्रण कक्ष

1034. **प्रो. विजय कुमार मल्होत्राः** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या प्रधान मंत्री ने अपने कार्यालय में भ्रष्टाचार नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है,

(ख) यदि हां, तो इस कक्ष में कार्यरत अधिकारियों का ब्यौरा क्या है, और

(ग) इन अधिकारियों को दी गई कानूनी शक्तियों औऱ कार्य-क्षेत्र क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री(श्री एस. आर. बालासुब्रहमण्यन): (क) और (ख) प्रधान मंत्री के कार्यालय में कोई भी भ्रष्टाचार नियंत्रण कक्ष नहीं खोला गया है। तथपि भ्रष्टाचार निरोधी की मानीटरिग के लिए प्रधान मंत्री के कार्यालय में उपल्बध कर्मचारियों को पुनः संगठित करके एक लघु एकक स्थापित किया गया है।

(ग)यह एकक. प्रधान मंत्री कार्यालय में, भ्रष्टाचार के संबंध में आम जनता से प्राप्त सभी शिकायतों की संवीक्षा करता है और उन्हें पूछताछ/जांच तथा उपयुक्त कार्रवाई के लिए संबंधित मत्रालयों/विभागों को भेज देता है। यह एकक. उन केन्द्रीय मंत्रालयों और सरकारी एजेन्सियों में ऐसे मामले के निबटान को भी मानीटर करता है जिनके पास भ्रष्टाचार संबंधी मामलों के निबटान का उत्तरदायित्व है। इस प्रक्रिया में यह समयबद्व और उत्तरदायी तरीके से सतर्कता तथा भ्रष्टाचार के मामलों के निबटान के संबंध में मौजूदा पद्वतियों तथा क्रियाविधियों की समीक्षा भी करता है।

Direction to adopt Information Technology Software

1035. SHRI SANJAY DALMIA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government have issued directions to all the State and Central Government Organisations to adopt "Information technology software" in administration; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI S.R. BALASUBRAMONIYAN): (a) and (b) In 1986, the Government issued directive to all the Central Government Departments to use NICNET of the National Informatics Centre (NIC) to adopt information technology software in administration and their other areas of work. NIC has signed Memorandum of Understanding with all State Governments and Union Territory Administrations for use of NICNET by them to adopt information technology software in administration and other areas of day-to-day operations.

In the light of decisions taken by the Government on the report of the expert committee set up to examine computerisation of government operations, Central Ministries and Departments have been requested to initiate action *inter alia* to prepare a five year plan for the extension of information technology in different aspects of work including those related to services to the public. Following a workship of State officials held in Hyderabad in August, 1997, state governments have[v] been requested to approach the NIC and the